No. AB.14017/21/2011-Estt. (RR)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, the 10th May, 2013

Office Memorandum

Subject: Change of the term "DPC (for confirmation)"-reg.

*****

Attention is invited to this Department instructions on consolidated guidelines on framing /amendment of RRs vide OM dated 31.12.2010. The guidelines prescribe that when Promotion, Direct Recruitment/re-employment of Armed Forces Personnel are included as a method of recruitment in the RRs for the post, column 12 of the Schedule shall include the DPC for considering Promotion and Confirmation as applicable.

2. This Department in consultation with UPSC has re-examined the term "Departmental Promotion Committee (for confirmation)" used in column 12 of the Schedule of the RRs. It has been decided that the same shall be substituted with the term "Departmental Confirmation Committee" (for considering confirmation) in cases where the method of recruitment includes direct recruitment/absorption/re-employment of Armed Forces Personnel. However where Promotion is prescribed as a method of recruitment, the composition of Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) shall be included in column 12 of the Schedule of the RRs. Ministries/Departments may take necessary action for incorporating the provisions in this regard in the RRs for a post.

3. Hindi version will follow

(Mukta Goel)
Director (E-I)
Tel. 2309 2479

Copy to:

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. Chief Secretaries of All State Governments.
3. The President's Secretariat, New Delhi.

Contd..../-

No. AB.14017/21/2011-Estt. (RR) New Delhi, the 10th May, 2013

4. The Vice-President's Secretariat, New Delhi
5. The Prime Minister's Office, New Delhi.
6. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
7. The Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
8. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
9. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
10. The Union Public Service Commission, New Delhi.

To

1. All Attached Offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
2. Establishment Officer and Secretary, ACC (10 copies).
3. All Officers and Sections in the Department of Personnel & Training.
4. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
5. All Staff Members of National Council (JCM).
6. All Staff Members of the Departmental Council (JCM), Ministry of Personnel, PG and Pensions.
7. Establishment (RR Division) (50 copies).
8. NIC, North Block for posting on the website.

(Mukta Goel)
Director (E-I)

संख्या ए.बी. 14017/21/2011-स्था.(आरआर)
भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली; दिनांक :10 मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- परिभाषिक शब्द "डीपीसी (स्थायीकरण के लिए)" के परिवर्तन के संबंध में ।

इस विभाग के दिनांक 31.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत भर्ती नियम तैयार करने/संशोधित करने संबंधी समेकित दिशानिर्देशों पर अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि जब पदोन्नति, सीधी भर्ती/सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पुनर्नियोजन को पद के भर्ती नियमों में भर्ती की एक पद्धति के रूप में शामिल किया जाता है, तो पदोन्नति और स्थायीकरण; जैसा भी लागू हो, पर विचार करने के लिए अनुसूची के कॉलम 12 में डीपीसी शामिल होगी ।

2. इस विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम 12 में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द "विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए)" की पुनः जांच-पड़ताल की है । यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां भर्ती की पद्धति में, सीधी भर्ती/आमेलन/सशस्त्र बलों के कार्मिकों का पुनर्नियोजन शामिल होता है, वहां उक्त पारिभाषिक शब्द को "विभागीय स्थायीकरण समिति" (स्थायीकरण के लिए) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । तथापि, जहां पदोन्नति को भर्ती की एक पद्धति के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना को भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम 12 में शामिल किया जाएगा । मंत्रालय/विभाग, इस संबंध में किसी पद के भर्ती नियमों में इन प्रावधानों को समाविष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

S6(A-II)
31/5/13

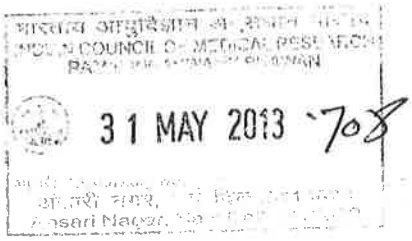

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (ई-I)
दूरभाष : 23092479

2490
3/6/13

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।

क्रमशः..../-

3/6/13

संख्या ए.बी. 14017/21/2011-स्था.(आरआर), नई दिल्ली; दिनांक : मई, 2013

4. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
10. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

सेवा में,

1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
2. स्थापना अधिकारी तथा सचिव, ए.सी.सी. (10 प्रतियाँ)
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
6. विभागीय परिषद (जे.सी.एम.), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. स्थापना (आर.आर.प्रभाग) – 50 प्रतियाँ ।
8. एनआईसी, नॉर्थ ब्लॉ क वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (ई-I)
दूरभाष : 23092479